श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.11 से 31.12.12

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी जिला शिमला के अवधि 1.1.11 से 31.12.12 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न सचिव मन्दिर न्यास में कार्यरत रहेः–

मन्दिर अधिकारी/सचिव

1	श्री प्रवीण कुमार टाक	1.1.11 से 31.8.12
2	श्री राजीव के0 सख्यान	1.9.12 से 31.12.12

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में (₹)
1	विज्ञापनों इत्यादि पर राशि का अनियमित भुगतान	11	2.20
	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए Angle Iron तथा Flat Iron का क्रय करना	12	0.70
	मन्दिर न्यास की मुरम्मत एवं रंग रोगन पर किये गये व्यय में अनियमितताएं	13	4.06
	बिना निविदायें आमन्त्रित किए अनियमित रूप से भुगतान करना	13	1.99

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु

संस्था द्वारा गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दीर्धकाल से लम्बित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु ठोस प्रयास किये जाएं। यह प्रकरण आवश्यक उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है। अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखों का अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.4.13 से 24.5.13 के दौरान मन्दिर परिसर, संकट मोचन शिमला में किया गया। अंकेक्षण के लिए माह 5/11, 5/12 का चयन आय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/11 व 4/12 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध न करवाई गई किसी सूचना अथवा गलत सूचना देने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.11 से 31.12.12 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹15000/– आंका गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अधियाचना संख्या 10 ऑडिट 2012–2013, दिनांक 24.5.13 जारी करके उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया जिसे मन्दिर न्यास द्वारा "Indusland Bank" के चैक संख्या 397986 दिनांक 5.6.13 द्वारा जमा कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

(i) श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास की अवधि 01.01.11 से 31.12.12 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2011	7229646.76	5139885.77	285076.15	12654608.68	2684366.27	9970242.41
2012	9970242.41	6917702.30	528464.43	17416409.14	4092489.63	13323919.51

(ii) दिनांक 31.1.12 को बैंक के बचत खातों में जमा राशि, सावधि योजना में जमा राशि तथा हस्तगत राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Indusland Bank Shimla	4387027.14
Vijaya Bank Shimla	1881223.00
HDFC Bank Shimla	71688.71
Union Bank of India Shimla	2922.46
Bank of Barodra Shimla	1810.14
UCO Bank Shimla	3512.06
FDR"s in State Bank of India, Shogi	7000000.00
Cash in hand	5000.00
कुल योग	**13353183.51**

(iii) रोकड़ वही के अन्तशेष तथा बैंक के खातों के अन्त शेष अनुसार जो अन्तर है उसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष **13323919.51**

जमाः—

निम्नलिखित चैक जिन्हें भुगतान के लिए जारी किया गया परन्तु 31.1.12 तक बैंक खातों से भुगतान नहीं हुआ।

चैक सं0	**दिनांक**	**राशि**	
671193	9.5.11	10000	
474934	28.8.11	2500	
728710	21.2.12	8446	
728755	22.3.12	5000	
728770	10.4.12	10000	
728678	3.5.12	10000	
737705	6.11.12	3400	
737727	27.11.12	4000	
272198	22.12.12	11178	
272191	14.12.12	1755	
		योग	(+)66279.00

जमाः— ब्याज की राशि जो बैंकों ने खातों में जमा की गई थी परन्तु इनकी प्रविष्टियॉ रोकड़ वही में नहीं की गई।

बैंक का नाम	**खाता सं0**	**राशि**	
यूको बैंक	09250100002164	255	
यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया		303	
बैंक ऑफ बड़ौदा	10580100000006	125	
		योग	**(+) 683.00**

जमाः— पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 31.12.10 के पैरा—4 के वर्णित अन्तर की राशियॉ जिन्हें अभी तक रोकड़ वही में नहीं लिया गया।

दिनांक 25.2.10 को बैंक में जमा राशि 46

दिनांक 19.6.10 को बैंक में जमा राशि	600	
वर्ष 2010 में बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 10580100000006 में अर्जित ब्याज	66	
वर्ष 2010 में यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया में अर्जित ब्याज	93	
वर्ष 2010 में यूको बैंक खाता सं0 2164 में अर्जित ब्याज	111	
	योग	**(+) 916.00**

जमाः—

एच0डी0एफ0सी0 बैंक शिमला के खाता संख्या 03461450000196 में 31.3.12 तक ऑनलाईन जमा राशि जिसे रोकड़ वही में नहीं लिया गया	(+) 1476

माईनसः—

चैक जो 31.12.12 से पहले बैंक खातों में जमा किये परन्तु बैंक द्वारा खाते में (Credit) जमा नहीं कियेः—

बैंक का नाम	चैक सं0	राशि	
एच0डी0एफ0सी0	400719	20000	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	20414	20000	
		योग	**(—) 40000**

माईनसः—

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से दिनांक 18.3.11 को निकाली गई राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं पाई गई	(—)90.00

बैंक खातों के अनुसार हस्तगत राशि का अन्तशेष

5 सावधि योजनाः—

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी द्वारा अवधि 1.7.11 से 31.12.12 के दौरान समय—2 पर कुछ राशियॉ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शोघी, शिमला में सावधि योजना के अन्तर्गत जमा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

एफ0डी0आर0 नं0	राशि (₹)	ब्याज की दर	एफ0डी0आर0 में जमा करने की तिथि	अवधि	परिपक्वता की तिथि	राशि
32607209629	2000000	8.5%	11.10.12	1 वर्ष	11.10.13	2175496
32597211232	2000000	8.5%	11.10.12	1 वर्ष	11.10.13	2175496
32596893916	3000000	8.5%	11.10.12	2 वर्ष	11.10.14	3549587

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों का अभिलेख रखने के लिए अलग से एफ0डी0आर0 रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सावधि योजना के अन्तर्गत जमा राशियों का अभिलेख रखने के लिए अलग से एफ0डी0आर0 रजिस्टर तैयार करके उसमें एफ0डी0 आर0 का पूर्ण ब्यौरा दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि सावधि योजना में निवेश राशियों को परिपक्वता तिथि पर पुनः निवेश करके अथवा भुनवाकर संस्था के खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 सोना एवं चांदीः—

(i) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा सोने/चांदी की प्राप्ति की गई।

क्र0सं0	रसीद सं0/दिनांक	विवरण	सोना (ग्रा0)	चांदी (ग्रा0)
1	005/15.3.11	एक जोड़ी सोने की ऑखे	0.52	—
2	009/4.10.11	श्री हनुमान जी का सोने का मुकुट	1.4	—
3	010/7.10.11	सोने का छोटा मुक्ट	0.10	—
4	12/24.12.11	सोने की नथ	6.68	—
5	16/5.12.12	सोने की मूर्ति	0.20	—

6			8.90	
	004 / 1.3.11	चांदी की छत्तर	–	21.010 ग्रा0
7	006 / 29.5.11	चांदी की पाजेब	–	38.850 ग्रा0
8	007 / 5.6.11	चांदी का कडा	–	101.500 ग्राम
9	008 / 29.6.11	एक चांदी का छत्तर	–	248.500 ग्राम
10	010 / 7.10.11	एक जोड़ी बिछुऐं	–	3.700 ग्राम
11	011 / 27.10.11	एक जोड़ी कड़े	–	31.900 ग्राम
12	013 / 1.1.12	एक छोटा मुकट	–	15.750 ग्राम
13	014 / 5.5.12	एक छोटा छत्तर	–	0.410
14	015 / 22.7.12	एक छोटी कुटारी	–	7.6 ग्राम
15	016 / 5.12.12	एक जोड़ी बिछुऐं	–	3.430 ग्राम

(ii) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सोने एवं चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख व ग"** में भी दिया गया है।

सोना

Opening Balance 1-1-2011	Received old Gold weighted by qualified gold smith	Received donated Gold during the year	Total
44.64	36.33	8.90	89.87

चांदी

Opening Balance 1-1-2011	Received old Silver weighted by qualified	Received donated Silver during the year	Total
3533.13	6885.22	472.65	10891.00

उपरोक्त तालिका के अनुसार तथा सोना–चांदी के रजिस्टर (स्टॉक रजिस्टर) के अनुसार दिनांक 31.12.2012 तक सोने का अन्तिम शेष 89.87 ग्राम व चांदी का अन्तिम शेष 10891.00 ग्राम दर्शाया गया है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण के आदेशानुसार दिनांक 22.2.11 को श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी में पूर्व में दिनांक 25.10.09 तक चड़े सोने एवं चांदी के आभूषणों तथा इसके पश्चात दिनांक 22.2.11 तक चढ़े सोने एवं चांदी के आभूषणों को सचिव मन्दिर न्यास तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में कारीगर श्री मुकेश कुमार सिंह से तुलवाया गया तथा आभूषणों की इन मात्राओं को तोलकर जो भार बना उसका विवरण आभूषणों सहित **परिशिष्ट "क"** तथा **"ख"** में दिया गया है, परन्तु आभूषण कौन–2 सी रसीदों द्वारा प्राप्त किये गये थे उनका विवरण नहीं दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त आभूषणों की इस मात्रा को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के दौरान अन्तशेष में भी नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। अंकेक्षण के दौरान सोने तथा चांदी के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 1 व 26 की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सोने तथा चांदी के आभूषणों की कुल मात्रा में से कुछ मात्रा को दिनांक 4.3.11 को जिला कोषागार में जमा कर दिया गया तथा कुछ मात्रा को मन्दिर न्यास में ही प्रयोग हेतु रखा गया है, जिसका पूर्ण विवरण भी परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा–12–ए(2)–ए में वर्णित स्कीमों के अनुसार धार्मिक संस्था प्राप्त होने वाले सोने तथा चांदी की मात्रा के अन्तशेष को रखा जाए।

7 कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों के बारे में:–

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास के कर्मचारियो को देय वेतन/भत्तों इत्यादि का न्यास की आय पर आनुपातिक विवरण निम्न प्रकार से पाया गया :–

वर्ष	आय	न्यास के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	प्रतिशतता
2011	5139885.77	851983.00	16.58%
2012	6917702.30	1168270.00	16.88%

उक्त विवरणानुसार मन्दिर न्यास की आय का लगभग 16**%**–17**%** व्यय मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय किया जा रहा है। अतः भविष्य में भी मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर किए गए व्यय पर आन्तरिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

8 रसीदों से प्राप्त आय में से ₹401/–को कम जमा करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के कर्मचारी द्वारा रसीदों में प्राप्त आय की गलत गणना करने पर ₹401/– को कम जमा किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

रसीद सं0/दिनांक	प्राप्त राशि	जमा की राशि	कम जमा राशि
7898/9.5.11	₹101	–	₹101
10230 से 10232 दिनांक 12.5.11	₹10310	10010	₹300
		कुल	**₹401**

उक्त कम जमा ₹401/–को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दिनांक 8.5.13 को ₹303 तथा दिनांक 24.5.13 को ₹98**/-** सम्बन्धित खातों में अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दिया गया। अतः परामर्श दिया गया है कि भविष्य में रसीदों से प्राप्त आय की गणना को ठीक करने के उपरान्त राशि को सम्बन्धित खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 मूल्य अंकित रसीदों की छपवाई बारे :–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर में दान इत्यादि की प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ही त्रुटि पूर्ण है क्योंकि रसीदों पर दान–राशि पूर्व प्रिंटिड नहीं है। इस सन्दर्भ में पूर्व अंकेक्षण के दौरान भी सुझाव दिया गया था परन्तु इस पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि दान इत्यादि की प्राप्ति के लिए मूल्य अंकित वाली रसीदें जैसे कि ₹10/–, ₹50/–, ₹100/– ₹500, तथा ₹1000/– की रसीदें छपवाई जाए जिनका काऊंटर फाईल भी साथ लगा हो ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

10 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को आंबटित किए गए आवासों के लिए लाईसैंस फीस प्राप्त न करना तथा कर्मचारियों के आवासों के बिजली के बिलों का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा करनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट"ङ"** पर संलग्न है, के अनुसार न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अंकेक्षण में पाया गया कि आवास की सुविधा प्रदान करने पर भी कर्मचारियों से अभी तक लाईसैंस फीस की कटौती उनके देय वेतन से नहीं की जा रही है जोकि नियमों की सरासर अवहेलना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0—7 (जी) 1—12/81 दिनोंक 26. 10.99 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को बिना किराये का आवास (Rent Fee Accomodation) न दी जाए। इस प्रकार कर्मचारियों को आंबटित किए गए आवासों के लिए लाईसैंस फीस प्राप्त न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता कि जिन कर्मचारियों को न्यास द्वारा आवास आंबटित किए गए है उनके वेतन से प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लाईसैंन्स फीस के आधार पर प्रारम्भ से हीं गणना करके अपेक्षित लाईसैंस फीस देय तिथि से वसूल करके मन्दिर न्यास में जमा की जाए व भविष्य में इसकी नियमित रूप से कटौती की जानी भी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को दिये आवासों में लगे बिजली के मीटरों के बिलों का भुगतान भी मन्दिर निधि से किया जा रहा है जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में प्रबन्धक न्यास मन्दिर परिसर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट "च—(1—2)"** पर संलग्न है, के अनुसार मन्दिर न्यास के आवासों पर लगे बिजली के मीटरों से सम्बन्धित वर्ष 2011 के दौरान ₹81403/—के बिजली के बिलों का भुगतान तथा वर्ष 2012 में ₹58158 के बिजली के बिलों का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों के आवास पर प्रदान की गई बिजली के बिलों के भुगतान की वसूली शीध्र करके मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाये और भविष्य में इस प्रकार के भुगतान पर अंकुश लगाया जाये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 विज्ञापनों इत्यादि पर ₹220500/–का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी (शिमला) द्वारा विज्ञापनों इत्यादि पर ₹220500/– खर्च की गई दर्शाई है जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है। विज्ञापनों इत्यादि पर खर्च की गई इन राशियों के सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के अनुसार तथा इस सन्दर्भ में समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार विज्ञापनों इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान नहीं है। यहां पर यह वर्णित किया जाता है कि मन्दिर न्यास द्वारा जिन पत्रिकाओं इत्यादि में विज्ञापन छपवाए गए है उनके सरक्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए मन्दिर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इन पत्रिकाओं/समाचार पत्रों हेतु दिए गए विज्ञापनों की दरें भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक है प्रतीत होती है। अतः इस प्रकार की पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के सम्बन्ध में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार के व्यय पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाया जाए।

12 मन्दिर न्यास की मुरम्मत एवं रंग रोगन पर किये गये ₹406087/– के व्यय में अनियमितताएंः–

मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर के भवनों के रंग रोगन पर निम्नलिखित व्यय किया गयाः–

वा0सं0	राशि	टिप्पणी
490/19.4.12	163000	रंग रोगन की खरीद पर
468/9.4.12	192237	रंग रोगन की खरीद पर
488/19.4.12	50850	रंग रोगन की खरीद पर

उपरोक्त वाऊचरों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपतियॉं पाई गई।

(क) उक्त कार्य को करवाने हेतु नियमों का पालन नहीं किया गया था क्योंकि नियमानुसार न तो रंग रोगन का कार्य करवाने का अनुमान पत्र तैयार करवाया और न ही इसकी तकनीकी

स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई जबकि अधिशासी अभियन्ता, मण्डल–1 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मन्दिर न्यास में किए जाने वाले निर्माण एवं मुरम्मत इत्यादि से सम्बन्धित कार्य करवाने हेतु कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। अतः बिना अनुमान पत्र बनाये एवं बिना सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति लिये रंग रोगन का कार्य का निष्पादन करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) रंग रोगन के कार्य पर खपत की गई सामग्री का प्रयोग नियमानुसार कहां और किस प्रकार किया गया इसका वर्णन नहीं किया गया तथा किए गए कार्यों की मद की गणना भी नहीं की गई थी जबकि रंग रोगन की प्रत्येक मद की गणना हेतु माप पुस्तिका का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था। उक्त अभिलेख के अभाव में प्रयोग/खपत किए गए सामान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा खरीदे गए सामान के सही प्रयोग की सत्यापना की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त रंग रोगन इत्यादि के स्टॉक रजिस्टर को किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण स्टॉक से रंग रोगन के कार्य पर जारी सामान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) न्यास एडमिनिस्टरेटर की अध्यक्षता में हुई बैठक मे ंप्रस्ताव संख्या शून्य दिनांक 13.12.11 के अनुसार उक्त रेग रोगन के कार्य को सुचारू रूप से करवाने के लिये श्री रोहताश सूद, श्री अशोक कुकरेजा तथा श्री संजीव शर्मा सदस्यों की कमेटी बनाई गई और रंग रोगन करवाने का कार्य इस कमेटी को सौंप दिया। इस प्रकार यह कार्य उक्त कमेटी की देख रेख में किया जाना था परन्तु अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कमेटी के सदस्यों ने केवल मस्ट्रोल पर रखे मजदूरों के भुगतान को ही सत्यापित किया है। इसके अतिरिक्त प्रति दिन के आधार पर मजदूरों द्वारा कितना–2 कार्य किया गया उससे सम्बन्धित न तो कोई अभिलेख नहीं रखा गया और न ही कमेटी द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि मजदूरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही कार्य किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित आपत्तियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) उक्त कार्य के लिए श्रमिकों को निम्नविवरणानुसार वित विभाग के पत्र संख्या–फिन(पी0आर0) बी (7)–33/2010–दिनांक 27.4.12 द्वारा निर्धारित दरों से अधिक ₹127738/– का भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः सरकार द्वारा निर्धारित दरो ंसे अधिक भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक किये भुगतान की राशि का

नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से करवाया जाए। भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वा0सं0 / माह	कार्य का विवरण	पद	कुल दिन	भुगतान दर	स्ंख्या विद्यार्थी दर	अधिक भुगतान	कुल अधिक भुगतान
468 / 9.4.12	रंग रोगन का कार्य	पैन्टर / मजदूर	644.10	300	143	157	101126.00
488 / 19.4.12	—यथोपरि—	पैन्टर / मजदूर	169.50	300	143	157	26611.50
							127737.50

13 बिना निविदायें आमन्त्रित किए ₹199012 / — का अनियमित रूप से भुगतान करना:—

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के लेखों की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित मदों हेतु खर्चों बिना निविदायें आमन्त्रित किये किया गया जोकि नियमानुसार सही नहीं है क्योंकि मन्दिर न्यास द्वारा खुली बाजार प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया गया है।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	पूर्तिकर्ता का विवरण बिल नम्बर / दिनांक	खरीदी गई वस्तुओं का विवरण	मूल्य / राशि
1	378 11 / 11	मै0 असीम ट्रेडिंग कम्पनी, पंथाघाटी, शिमला	Angle Iron तथा Flat Iron की खरीद	36336
2	385 12 / 11	मै0 असीम ट्रेडिंग कम्पनी, पंथाघाटी, शिमला	Angle Iron तथा Flat Iron की खरीद	342130
3	458 / 4 / 12	न्यू लाईट एण्ड साऊंड शिमला बिल सं0 1321 दिनांक 24.3.12		32500
4	459 / 4 / 12	—यथोपरि— बिल सं0 1322 दिनांक 24.3.12		4200

5	462/4/12	देविन्द्र ब्रदर्ज लोअर बाजार शिमला	मरारी की खरीद	14900
6	464/4/12	बिल सं0 211 दिनांक 21.3.12 शर्मा एण्ड को 180 गंज बाजार शिमला बिल सं0 2771 से 2773 दिनांक 22.3.12	भण्डारे के लिए राशन की खरीद	11520
7	465/4/12	मुंशी कुमार मुदीत कुमार गंज बाजार शिमला बिल सं0 1452 दिनांक 28.3.12	–यथोपरि–	5781
8	475/4/12	श्री रवि रोहाल कैथलीघाट बिल नं0 1375 दिनांक शून्य	पानी की सप्लाई माह 3/12	14400
9	482/4/12	शर्मा इल्क्ट्रोनिक्स लोअर बाजार, शिमला बिल नं0 350 दिनांक 27.3.12	बिजली के सामान की खरीद	6196
10	487/4/12	मैसर्ज ठाकुर देवी राम एण्ड सन्ज 1158 दिनांक 10.4.12 1161 दिनांक 12.4.12 1099 दिनांक 10.4.12	एचाल एवं पाईप आदि की खरीद	16232
11	381/12/11	श्री रवि रोहाल कैथलीघाट, सोलन बिल नं0 शून्य दिनांक शून्य	पानी की सप्लाई	16800
12	390/12/11	मैसर्ज ठाकुर देवी राम एण्ड सन्ज बिल नं0 12844 दिनांक 16.12.11 बिल नं0 11351 दिनांक 16.12.11	जाली एवं सीमेन्ट की खरीद	5717
				199012

अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 मन्दिर न्यास द्वारा बरास की मूर्तियों के खरीद के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 391 दिनांक 27.12.11 के अन्तर्गत संस्था ने मैसर्ज दौलत राम जगदीश राम, राम बजार, शिमला को बावत श्री हनुमान जी की बरास की (1.2000 कि0ग्रा0 भार की प्रतिपूर्ति) की 500 नं0 मूर्तियों की आपूर्ति के लिये ₹750/– प्रति मूर्ति की दर से भुगतान किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि श्री हनुमान जी की बरास की मूर्तियॉ उन श्रद्वालुओं को मन्दिर न्यास से भेंट के स्वरूप में दी जाती है जो मन्दिर में भण्डारा देते हैं। श्री हनुमान जी की बरास की मूर्तियों की खरीद से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच पर करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा उक्त मूर्तियों की खरीद के लिये कोटेशने हस्तगत रूप से प्राप्त की गई प्रतीत होती है क्योंकि अंकेक्षण के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि कोटेशने डाक द्वारा मंगवाई गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त फर्म द्वारा समय–2 पर जितनी भी मूर्तियों की आपूर्ति न्यास को की गई उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में तो दर्ज की गई परन्तु सक्षम अधिकारी/कर्मचारी जिसके द्वारा मूर्तियां प्राप्त की उनके द्वारा कहीं भी अभिलेख में यह प्रमाण पत्र नहीं पाया गया कि प्राप्त मूर्तियों का भार 1.200 कि0 ग्राम प्रति मूर्ति ही था। अतः मूर्तियों की आपूर्ति प्राप्त करने पर कहीं भी यह प्रमाण पत्र न देना कि बरास की मूर्ति 1.200 कि0ग्रा0 भार की प्राप्त की गई के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त सभी अनियमितताओं के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करके तथा सक्षम अधिकारी से उक्त अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

15 मन्दिर के सदस्यों/कर्मचारियों द्वारा टैक्सी का उपयोग बिना उद्देश्य को स्पष्ट किए ही करना:–

न्यास के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि न्यास के कर्मचारियों/सदस्यों द्वारा निम्न विवरणानुसार टैक्सी का प्रयोग किया गया है परन्तु प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया उसका स्पष्ट विवरण सम्बन्धित भुगतान के बिलों में नहीं पाया गया। अतः बिना उद्देश्य को

स्पष्ट किए टैक्सी का प्रयोग पर किये जाने वाले खर्च को उचित नहीं माना जा सकता। अतः टैक्सी का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिये किया गया उसे दर्शाया जाये तथा इसकी सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाई जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

फर्म का नाम	**वाहन का नं0**	**दिनांक**	**राशि**	**वाहन जिस स्थान से लेकर प्रयोग किया**
कालाका–शिमला हिमाचल टैक्सी ओपरेटर स्टैंड शिमला बिल शून्य दिनांक 22.3.12	एच0आर0–01–1065	22.3.12	250	शिमला से कहां तक उपयोग की स्पष्ट नहीं है।
–यथोपरि– बिल सं0 शून्य दिनांक 30.3.12	एच0पी0–01–1443	30.3.12	250	शिमला से संकट मोचन
श्री नन्द लाल (नन्दू) टैक्सी सेवा बिल सं0 0011/30.3.12	नहीं दर्शाया	30.3.12	1700	शिमला से सोलन तथा वापिस
पाईन व्यू फिलिंग स्टेंशन, शिमला बिल सं0 029192/29.3.12	नहीं दर्शाया	–	500	पैट्रोल किस वाहन में उपयोग किया और किस उद्देश्य से किया नहीं दर्शाया गया था
–यथोपरि– बिल सं0 029574/1.4.12	–नहीं दर्शाया–	–	500	(–यथोपरि–)
		कुल व्यय	**₹3200**	

16 स्टॉक आर्टिकल का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारा देवी (शिमला) के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के दौरान न्यास द्वारा वस्तुओं/सामग्री का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिस कारण स्टॉक रजिस्टर में अंकित सामान की वास्तव में होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः स्टॉक आर्टिकल की प्रत्यक्ष सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई है।

18 निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)261/08–खण्ड–1–7515–7519, दिनांक 16.11.2013, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1. मन्दिर अधिकारी श्री संकट मोचन न्यास तारा देवी को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजें।

2. उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री संकट मोचन, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

3. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

4. अवर सचिव (एल0ए0सी0), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क" **पैरा 1 (iv) के सन्दर्भ में**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 17.8.04 से 31.12.09

पैरा–5	अनिर्णीत	
पैरा–6	अनिर्णीत	
पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत	
पैरा–8 (घ) (i)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
पैरा–8 (घ) (iv)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
पैरा–8 (घ) (v)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
पैरा–8 (ङ) (i)	अनिर्णीत	
पैरा–8 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (i)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (ii) (क)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (ii) (ख) (1)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
पैरा–9 (ii) (ख) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
पैरा–9 (ii) (ग)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (च)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	
पैरा–10	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
पैरा–13	अनिर्णीत	
पैरा–14	अनिर्णीत	
पैरा–15 (1) (क)	अनिर्णीत	

पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–15 (2)	अनिर्णीत	
पैरा–16	अनिर्णीत	
पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–18 (1) (क)	अनिर्णीत	
पैरा–18 (1) (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–18 (2) (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
पैरा–18 (3) (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
पैरा–19	अनिर्णीत	
पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–21 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–22	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
पैरा–23	निर्णीत	(–यथोपरि–)
पैरा–24	अनिर्णीत	
पैरा–25	अनिर्णीत	
पैरा–26	निर्णीत	(–यथोपरि–)
पैरा–27	अनिर्णीत	
पैरा–28	अनिर्णीत	
पैरा–29	अनिर्णीत	
पैरा–30	अनिर्णीत	
पैरा–31	अनिर्णीत	
पैरा–32	अनिर्णीत	
पैरा–33 (क, ख)	अनिर्णीत	
पैरा–34	अनिर्णीत	
पैरा–35	अनिर्णीत	
पैरा–36	अनिर्णीत	

पैरा–37	अनिर्णीत	
पैरा–38 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.10 से 31.12.10

पैरा–2	निर्णीत / समाप्त	
पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क चैक संख्या 474928 दिनांक 20.8.11 द्वारा जमा)
पैरा–4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई अनुसार)
पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	
पैरा–5	अनिर्णीत	
पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–7	अनिर्णीत	
पैरा–8	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में पुष्टि उपरान्त)
पैरा–9	अनिर्णीत	
पैरा–10	अनिर्णीत	
पैरा–11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में देने पर)
पैरा–12	अनिर्णीत	
पैरा–13	अनिर्णीत	
पैरा–14	निर्णीत	(सी0सी0टी0वी0 (कैमरे) परिसर में स्थापित कर देने के सत्यापन पश्चात पैरा निर्णीत)
पैरा–15	अनिर्णीत	
पैरा–16	निर्णीत	
पैरा–17	निर्णीत	